

क्रमांक/राजस्व/वन/12-8 (1) 12/ 994

दिनांक 29 जून, 2012

निमित्त,

अधिशाषी अभियन्ता जन.स्वा.अभि.विभाग,
चम्बल भीलवाड़ा परियोजना, खण्ड प्रथम
भीलवाड़ा

विषय:- चम्बल-भीलवाड़ा पेयजल परियोजना में आने वाली वन भूमि के अनारक्षण के संबंध में।

प्रसंग:- आपका पत्रांक एफ () 12/ 321-23 दिनांक 13.1.2012 एवं 28.6.2012

विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि आप द्वारा चम्बल-भीलवाड़ा पेयजल परियोजना की पाईप लाईन बिछाने हेतु 3.73 हैक्टेयर वन भूमि उपयोग में आने से डायवर्जन चाहा गया था लेकिन मोके की वर्तमान स्थिति तथा पाईप लाईन के अनुसार पीरमगरा की 2.39 है., भुजरकला की 0.878 है. एवं श्रीपुरा की 0.18 है. भूमि की ही आवश्यकता होना बताते हुए वन भूमि के डायवर्जन का अनुरोध किया गया है।

इस संबंध में तहसीलदार रावतभाटा द्वारा अवगत करवाया गया कि चम्बल-भीलवाड़ा पेयजल परियोजना की पाईप लाईन बिछाने हेतु अनसर्वेड वन भूमि भुजरकला का 0.378 हैक्टेयर एवं भैंसरोड़गढ़ पीरमगरा का 2.39 हैक्टेयर कुल 3.27 हैक्टेयर, इसी प्रकार उक्त परियोजना हेतु ग्राम श्रीपुरा की वन विभाग के नाम अंकित आराजी नंबर 639 रकबा 9.52 हैक्टेयर में से 0.18 हैक्टेयर कुल 3.448 हैक्टेयर वन भूमि उपयोग में आना बताते हुए उक्त अनसर्वेड वन भूमि की क्षतिपूर्ति ग्राम भैंसरोड़गढ़ की राजकीय बिलानाम आराजी नंबर 32 रकबा 3.29 हैक्टेयर से तथा श्रीपुरा की वन भूमि की क्षतिपूर्ति ग्राम श्रीपुरा की राजकीय बिलानाम आराजी नंबर 651 रकबा 0.30 हैक्टेयर में से 0.18 हैक्टेयर भूमि से किये जाने के प्रस्ताव अभिशंसा के साथ प्रस्तुत करते हुए अंकित दिखता है कि परियोजना के उपयोग में आने वाली उक्त वन भूमि पर कोई आवासीय योजना नहीं है एवं न ही किसी आवासीय योजना को प्रभावित करती है।

इस कार्यालय के रिकार्ड अनुसार उक्त परियोजना के उपयोग हेतु प्रस्तावित अनसर्वेड वन भूमि एवं सर्वेड वन भूमि में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियम, 2008 के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति को अधिकार पत्र जारी नहीं किया गया है।



जिला कलेक्टर
वित्तोड़गढ़

154

80

Annex - 19

9/2

अतः तहसीलदार रावतभाटा के उक्त प्रतिवेदन अनुसार चम्बल-भीलवाड़ा पेयजल परियोजना की पाईप लाईन बिछाने हेतु अनसर्वेड वन भूमि भुजरकला का 0.878 हैक्टेयर, भैंसरोड़गढ़ पीरमगरा का 2.39 हैक्टेयर कुल 3.27 हैक्टेयर एवं ग्राम श्रीपुरा की वन विभाग के नाम अंकित आराजी नंबर 639 रकबा 9.52 हैक्टेयर में से 0.18 हैक्टेयर कुल 3.448 हैक्टेयर वन भूमि का उक्त परियोजना हेतु डायवर्जन किये जाने की स्थिति में वन विभाग के पक्ष में उक्त अनसर्वेड वन भूमि की क्षतिपूर्ति ग्राम भैंसरोड़गढ़ की राजकीय बिलानाम आराजी नंबर 32 रकबा 3.29 हैक्टेयर से तथा श्रीपुरा की वन भूमि की क्षतिपूर्ति ग्राम श्रीपुरा की राजकीय बिलानाम आराजी नंबर 651 रकबा 0.30 हैक्टेयर में से 0.18 हैक्टेयर भूमि से किये जाने की सहमति दी जाती है।

16

आप द्वारा उक्त परियोजना हेतु चाही गईं उक्त वन भूमि में वर्तमान में किसी प्रकार का कोई आवास नहीं है और न ही किसी भी आवासीय क्षेत्र सामान्य/ अनुसूचित जनजाति अथवा परम्परागत वन निवासी क्षेत्र को प्रभावित करता है। इसी प्रकार उक्त प्रस्तावित क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियम 2008 के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी को अधिकार पत्र जारी नहीं किया गया है।

जिला कलेक्टर,
चित्तौड़गढ़

केवल नकल के उपयोग के लिए

जमाबन्दी (खतोनी) ग्राम जिला तालुका मू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पटवार क्षेत्र खेती पुस्तक मू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जिला तालुका मू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र से 20 12 तक

(18)

156

167

कोट (खतोनी) संख्या	नई पुरानी	भू-धारकों का नाम	काश्तकार का नाम मय पिता का नाम, जाति तथा निवास-स्थान के पते सहित एवं भू-धृति का स्वरूप	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	मूदा (भूमि) वर्गीकरण	सिंचाई के स्रोत	कृषक द्वारा		संवत् के लिए		संवत् के लिए		भूमि के अंतरण के प्रकार सहित अनुप्रमाणित नामान्तरण के आदेशों की संख्या एवं दिनांक	भूमि के अंतरण के प्रकार सहित अनुप्रमाणित नामान्तरण के आदेशों की संख्या एवं दिनांक	भूमि के अंतरण के प्रकार सहित अनुप्रमाणित नामान्तरण के आदेशों की संख्या एवं दिनांक	भूमि के अंतरण के प्रकार सहित अनुप्रमाणित नामान्तरण के आदेशों की संख्या एवं दिनांक
								दर सहित ब्यांरा	रकम	संवत्	भूमि के अंतरण के प्रकार सहित अनुप्रमाणित नामान्तरण के आदेशों की संख्या एवं दिनांक	संवत्	भूमि के अंतरण के प्रकार सहित अनुप्रमाणित नामान्तरण के आदेशों की संख्या एवं दिनांक				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	1	राज सरका	विवानाग कृषि जो गफ. पटवार 38 पर चर्क मर कमी सरपंचसिधम पटवार 25-12	651	0-30	बीड	-	-	-	नां लप 162	28.5.7.13	अनुसा के	अनुसा के	आदेश	जी मां लपि		
										करीब 0-3000 मी	आ. नं. 651	आ. नं. 651	आ. नं. 651	आ. नं. 651	आ. नं. 651	आ. नं. 651	

केवल नकल के उपयोग के लिए

खेत (खतीनी) ग्राम ... जिला ...

राजस्थान संवत् 2066 से 2067 तक

खेत (खतीनी) संख्या	भू-धारकों का नाम	काश्तकार का नाम मय पिला का नाम, जाति तथा निवास-स्थान के पते सहित एवं भू-धृति का स्वरूप	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	मूदा (भूमि) वर्गीकरण	सिंचाई के स्रोत	कृषक द्वारा		संवत् ... के लिए				संवत् ... के लिए		के लिए	
							दर सहित व्योरा	रकम	भूमि के अंतरण के प्रकार सहित अनुप्रमाणित नामान्तरकरण के आदेशों की संख्या एवं दिनांक	भूमि के अंतरण की विशिष्टियां जिसके पक्ष में भूमि अंतरित की गई है	भूमि के अंतरण की विशिष्टियां जिसके पक्ष में भूमि अंतरित की गई है	भूमि के अंतरण के प्रकार सहित अनुप्रमाणित नामान्तरकरण के आदेशों की संख्या एवं दिनांक	भूमि के अंतरण की विशिष्टियां जिसके पक्ष में भूमि अंतरित की गई है			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	1	राज. सि. विमानानु काकिल काकिल	उम	3.89 बीड	उम	उम										

157

82

158

83

169

राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा

क्रमांक-39-7 (7)(1)आरए/2013/1767

दिनांक 01-08-2013

आदेश

इस कार्यालय के पूर्व आदेश क्रमांक सम/1747 दिनांक 23-7-2013 के क्रम में भारत सरकार से प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 1 की पालना में तहसीलदार बिजौलिया से प्राप्त प्रस्तावानुसार चम्बल भीलवाड़ा पेयजल परियोजना की पाईप लाईन बिछाने हेतु अनसर्वेड वन भूमि ग्राम गुडा तहसील बिजौलिया की आराजी नम्बर 708/1, में से 1392 वर्ग मीटर, आराजी नम्बर 715/1 में से 1624 वर्ग मीटर, आराजी नम्बर 956/727 में से 812 वर्ग मीटर, आराजी नम्बर 1010/728 में से 696 वर्ग मीटर, आराजी नम्बर 738 में से 928 वर्ग मीटर, आराजी नम्बर 739 में से 928 वर्ग, आराजी नम्बर 753 में से 580 वर्ग मीटर, आराजी नम्बर 767 में से 928 वर्ग मीटर, आराजी नम्बर 769 में से 3712 वर्ग मीटर, आराजी नम्बर 770 में से 1856 वर्ग मीटर कुल कित्ता 10 रकबा 13,456 वर्ग मीटर वन भूमि के डायवर्जन के क्रम में वन भूमि की क्षतिपूर्ति हेतु ग्राम दानपुरा तहसील बिजौलिया की आराजी नम्बर 239/2 रकबा बीघा 8.07 किरम बजंड जो वन विभाग के नाम आरक्षित हैं को वन विभाग को आवंटन की जाती है।

ed
(ओंकार सिंह)
जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

प्रतिलिपि -

1-उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया,

2-उप वन संरक्षक भीलवाड़ा

3-अधिसापी अभियन्ता, चम्बल भीलवाड़ा परियोजना खण्ड द्वितीय रावतभाटा

4-तहसीलदार बिजौलिया को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में वन विभाग के नाम अंकन कर जमाबन्दी की प्रति भिजवाये

[Signature]
जिला कलक्टर, भीलवाड़ा